

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1703 / 12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, जनवरी 8 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

विषय:-

जनपद देहरादून मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित श्रीनगर इस्टेट में श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के स्वामित्व की कुल 4118.90 वर्गमीटर भूमि में से 249.96 वर्गमीटर अर्थात् 0.024996 हेक्टर भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु निजी वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू-प्रत्यावर्तन की स्वीकृति का प्रस्ताव के संबंध में।

सन्दर्भ:-

इस कार्यालय का पत्रांक 1639 / 12-1 (1) दिनांक 04-01-2015

FP/VK/Others / 14536/2015

महोदय,

इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को दिनांक 04-01-2015 को ऑन लाईन प्रेषित किया गया।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा दिनांक 04-01-2015 ई0डी0एस0 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, निर्यसन रोड वन अनुसंधान संस्थान परिसर, पो0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून की आपत्ति का पत्रांक Misc/ II / ROC / COP / 1/2013 / 846 दिनांक 6-11-2015 का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अतः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के स्तर से प्राप्त ई0डी0एस0 क्वेरी तथा भारत सरकार के पत्रांक Misc/ II / ROC / COP / 1/2013 / 846 दिनांक 6-11-2015 को ऑन लाईन प्रेषित करते हुए भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्ति का नियमानुसार निस्तारण करते हुए उक्त प्रकार की गई कार्यवाही की अनुपालन सूचना, तथा अंग्रेजी में भरा जाने वाला प्रपत्र भाग-2 जिसमें निर्धारित कॉलमों में ऑन लाईन सूचना भरी गई है, को डाऊन लोड करते हुए उसमें भी पदनाम समुहर हस्ताक्षर करते हुए उक्त को भी ई0डी0 एस0 माध्यम से ऑन लाईन अपलोड करें।

ई0डी0एस0 के माध्यम से भारत सरकार के पत्र में उल्लिखित आपत्ति का निस्तारण एवं उपरोक्त दस्तावेज ऑन लाईन प्रेषित करते हुए उक्त की हार्ड प्रति उसी दिन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(भुवन चन्द्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Online Submission & Monitoring of Forest and Wildlife Clearance Proposals

FP/UK/Others/14556/2015

:: [Logout](#)

Shri Amit Rajendra Kumar Gupta

[Role : CF]
[State : Uttarakhand]




- Configuration ▾
- Add Proposal ▾
- Miscellaneous ▾
- Downloads ▾
- Others ▾

Processing of Proposals received on or after 15 July 2014 ▾

EDS Form

Help

EDS has been completed,
 EDS is pending,
  Click on this image button for EDS reply.



Essential Details Sought
by Forest Department * :

Send To* :

Upload a copy of Essential Details Sought letter (if any):
 No file chosen
(Only PDF)

ADD

Online Help/Query		Sought on/Replied on(Date)	Uploaded copy of Essential Details Sought letter	Query from/Reply to
Forest Department		04/01/2016	1114124512211OBJbyROfinproposalno10925regardinghardcopy.pdf	Nodal Officer
<input checked="" type="radio"/>	Plz reply to obj of RO-As per this office letter Misc/II/ROC/COP/I/2013/1846 dated 06/11/2015 the hard copy of the proposal is not submitted yet. above mentioned letter attached herewith.			

FP/UK/Other/14556/2015
Shri. Anil Kumar Gupta



14556/2015

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिपल रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पोस्टो न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006
दूरभाष 0135-2750809,
ईमेल/Email - moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun - 248006
Phone: 0135-2750809

File No. Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846

Dated: 6th November, 2015

To,
The Principal Secretary (Forests),
Government of Uttarakhand,
Subhash Road,
Dehradun

Sir,

As you are aware, the Govt. of India has started a Web Portal for online submission and monitoring of Forest Clearance Proposals w.e.f 14th August, 2014 and since then all the fresh proposals seeking diversion of forest land for various non-forestry proposes are being submitted online.

Till now this office has received 220 Forest Clearance proposals online from the state of Uttarakhand out of which "in-Principle"/final approval has been granted in 28 cases and the essential details have been sought from State Govt. in the remaining cases in which shortcomings were noticed.

In this regard it is bring to your kind notice that as per existing guidelines, it is also required to submit a hard copy of the proposal seeking diversion of forest land to non forestry use along with online submission. However, the State Govt. of Uttarakhand is not submitting hard copy of proposals seeking diversion of forest land to various non- forestry uses to this office. In some cases copy of recommendations of authorities of the State Govt. in Part I to V only are being provided in the name of hard copy whereas the hard copy is required to contain all the Performa and annexures/additional documents/maps provided online.

This office though had been making verbal requests to the concerned officers of the Forest Department, Uttarakhand to submit hard copy of the proposals submitted online but keeping in view the urgency to grant Forest Clearances for various developmental purposes, processing of proposals received online from the State Govt. without hard copy had been continued till date. However, the requirement of providing a hard copy of the proposal has not been fulfilled till now and this office is still receiving the Forest Clearance proposals online, not accompanied by hard copy. You will appreciate that submission of hard copy

being one of the important part of guidelines to maintain record for future reference, it may not be proper to continue the practice of processing and clearing forest land diversion proposals without obtaining hard copy any more. This office is therefore, sending back all online fresh proposals received from State Govt. without hard copy, which are yet to be processed, till hard copies are received.

You are, therefore, requested to ask the concerned officers of your Department to simultaneously make hard copy also available to this office of all proposals seeking diversion of forest land to non-forestry use under Forest (Conservation) Act, 1980 in future as and when these are submitted online.

Ajay Kumar
Addl. PCCF

Copy to:

1. The Addl.PCCF & Nodal Officer, Forests Conservation, Govt. of Uttarakhand, Indira Nagar, Forest Colony, Dehradun.

2/ Office Order pad.

6.11.2015
Ajay Kumar
Addl. PCCF

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक
सेवा में,

1639 / 12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, जनवरी 4, 2015

अपर प्रमुख वन संरक्षक, / नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-

जनपद देहरादून मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित श्रीनगर इस्टेट में श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के स्वामित्व की कुल 4118.90 वर्गमीटर भूमि में से 249.96 वर्गमीटर अर्थात् 0.024996 हेक्टर भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु निजी वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू-प्रत्यावर्तन की स्वीकृति का प्रस्ताव के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक 278/12-1(1) दिनांक 05-8-2015 द्वारा विषयाकित प्रस्ताव आपको पूर्व में प्रेषित किया गया था। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी ने अवगत कराया है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक-1975/1जी-5040 (देहरादून) दिनांक 13-01-2015 से उक्त प्रस्ताव प्रस्तावक श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता को ऑन लाईन प्रेषित करने के लिए लिखा गया था। प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ने अपने पत्रांक 2031 / 12-1 दिनांक 18-11-2015 के द्वारा प्रस्तावक के द्वारा ऑन लाईन किये गये प्रस्ताव के क्रम में अपने स्तर से अपेक्षित प्रारूपों में वांछित सूचना भरते हुए उपरोक्त प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया गया है।

विषयाकित प्रस्ताव में बाधित हो रहे कुल 03 वृक्ष जिसमें 01 बांज प्रजाति का वृक्ष सम्मिलित है, का स्थलीय निरीक्षण श्री आर0के0मिश्र, वन संरक्षक द्वारा दिनांक 21-7-2015 को किया गया है तथा इस संबंध में भाग-3 में टिप्पणी / संस्तुति यथा स्थान अपलोड की जा रही है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 278/12-1(1) दिनांक 05-8-2015 के द्वारा आपको प्रेषित प्रस्ताव संबंधी पत्र भी ऑन लाईन प्रेषित किया किया जा रहा है।

अतः अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(भुवन चन्द्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1637 (1) / 12-1(1) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग को उनके पत्रांक 2031 / 12-1 दिनांक 18-12-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भुवन चन्द्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।